

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon\_north@rediffmail.com, (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 5342/ 12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 02/06/ 2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
भूमि संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :- जनपद अल्मोड़ा अन्तर्गत विधानसभा जागेश्वर में नैनी से क्वैराली तक मोटर मार्ग का निर्माण प्रस्ताव सं०. FP/UK/ROAD/50231/2020।

सन्दर्भ :- आपके द्वारा ऑन लाईन लगायी गयी आपत्ति दिनांक 15.06.2021।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में आपके द्वारा लगाई गयी आपत्ति का निराकरण कर प्रतिउत्तर जो प्रभागीय वनाधिकारी, सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 4205/12-1 दिनांक 18.05.2022 द्वारा प्राप्त हुआ है कि तीन हॉर्ड कॉपियां बन्द लिफॉफे में प्रेषित की जा रही है। प्रस्ताव ऑन लाईन से प्रेषित करने की कार्यवाही पृथक से की जा रही है।

संलग्न- प्रतिउत्तर की हॉर्ड कॉपी तीन प्रतियों में।

भवदीय



(कुबेर सिंह बिष्ट)

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।



कार्यालय: प्रभागीय वनाधिकारी सिविल एवं सोयम वन प्रभाग, अल्मोड़ा

E-mail:- csalmdfo@rediffmail.com

Phone/Fax :- (05962) 230229

पत्रांक 4205/12-1 दिनांक,

अल्मोड़ा 18/05/2022

सेवा में,

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,  
अल्मोड़ा।

विषय:- जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत विधानसभा जागेश्वर में नैनी से क्वैराली तक मोटर मार्ग का निर्माण (प्रस्ताव सं०- FP/UK/ROAD/50231/2020)।

संदर्भ:- नोडल अधिकारी देहरादून का ई०डी०एस० दिनांक 15-06-2021।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित आनलाईन प्राप्त प्रस्ताव के क्रम में अनुरोध है कि उक्त विषयक प्रकरण में नोडल अधिकारी देहरादून द्वारा लगाई गयी बिन्दु संख्या- 1 से 5 तक आपत्ति का प्रस्तावक विभाग द्वारा निराकरण कर प्रतिउत्तर इस कार्यालय की पत्र सं० 2557/12-1 दिनांक 6.01.2022 से आपको भेजी गयी है। अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अल्मोड़ा ने अपने पत्र सं० 1137/3सी०(व०भू०) दिनांक 9.05.2022 से पार्ट-1 की प्रतियां इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी है। जिन्हें पार्ट-1 के साथ प्रतिउत्तर पुनः सेवा में निम्नानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन प्रेषित की जा रही है।


क्र०सं०	आपत्ति	निराकरण
1	Name of the person making the application as mentioned in Form A, Part I at A-3 (i)(ii)(iii) is Mr Govind Ballabj Joshi while the person authorised as per the authority letter uploaded at A-3 (xvii) is Mr SS Nayal. Kindly upload the new authority letter or rectify the name as mentioned in the relevant column in Form A, Part I; also seal of the competent authority letter, Kindly ensure to affixed the same in the authority letter before uploading the same after rectification.	Authority Letter पार्ट-1 के A-A_3(XVII)
2	Geo reference Map and SOI Toposheet uploaded are not signed by the competent authority I,e DFO	पार्ट-1 के-C सैक्शन में मानचित्र अपलोड कर लिये गये है।
3	Kindly review the Employment details	प्रस्तावक विभाग द्वारा उक्त मोटर मार्ग से लाभन्वित पार्ट-1 के E सैक्शन में रोजगार सम्बन्धित सूचना अंकित कर ली गयी है।



4	Name of Gram panchayat and Village not mentioned in the uploaded VLC Proceeding/NOC	पार्ट-I के सैक्शन के ग्राम स्तरीय समिति में ग्राम पंचायत का नाम अंकित कर लिया गया है।
5	SOI Toposheet and Geo reference map of the CA area are not signed by the competent authority i.e. DFO.	पार्ट-II के पैरा 13 Additional information में CA के हस्ताक्षरित मानचित्र को अपलोड कर दिया गया है।

संलग्न:- उक्तानुसार।

टिप्पणी:- प्रस्ताव की हार्ड कापी अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अल्मोड़ा ने अपने पत्र सं0 937/3सी0 (व0भू0) दिनांक 25-08-2021 द्वारा नोडल कार्यालय देहरादून को भेजी गयी है।

भवदीय,  
  
 प्रभागीय वनाधिकारी,  
 सिविल एवं सोयम वन प्रभाग अल्मोड़ा।